

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक-477/नि०शा०/2021-22

दिनांक-22-03-2022.

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/ महिला लाभार्थी-40 के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू० 399.69 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 266.46 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 12/2022/201/सत्रह-म-2022-17-1002(002)/2/2022 दिनांक 21.03.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/ महिला लाभार्थी-40 के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०-17 में महिला वर्ग हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू० 399.69 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 266.46 लाख (रू० दो करोड़ छ्ठाछठ लाख छियालिस हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू० 398.61 लाख (रू० तीन करोड़ अट्ठानवे लाख इकसठ हजार मात्र) का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका ब्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2021 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (12...) पर अंकित है।

भवदीया
(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
- 5 गार्ड फाइल।
- 6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक— /नि०शा०/2021-22

दिनांक—22-03-2022.

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/ महिला लाभार्थी-40 के०+रा०) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू० 399.69 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 266.46 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 12/2022/201/सत्रह-म-2022-17-1002(002)/2/2022 दिनांक 21.03.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/ महिला लाभार्थी-40 के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०-17 में महिला वर्ग हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू० 399.69 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 266.46 लाख (रू० दो करोड़ छह लाख छियालिस हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू० 398.61 लाख (रू० तीन करोड़ अठानवे लाख इकसठ हजार मात्र) का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2021 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (...12...) पर अंकित है।

भवदीया

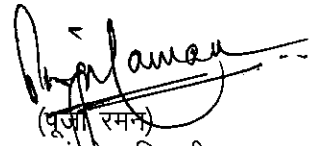
(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-477 / नि0शा0 / उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
- 5 गार्ड फाइल।
- 6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-FISH SEEDS HATCHERY FEMALE 22-3-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला
लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

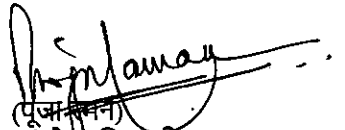
S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 600000 9551930	600000 9551930
	योग	वर्तमान प्रगामी 600000 9551930	600000 9551930

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया छः लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया पंचानवे लाख इक्यावन हजार नौ सौ तीस


(पूजा मिन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

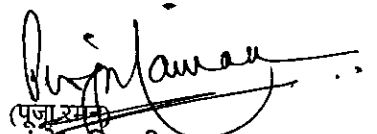
वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW PONDS NIRMAN FEMALE 22-3-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई-0) - (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गेर वित्त)	योग
1	अलीगढ़-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 34000 1769010	34000 1769010
2	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 202000 9693880	202000 9693880
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 181000 17924660	181000 17924660
4	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 297000 1582000	297000 1582000
5	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 134000 9685930	134000 9685930
6	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 84000 12699000	84000 12699000
7	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य, --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्मल	वर्तमान प्रगामी 67000 1428000	67000 1428000
8	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 168000 3687900	168000 3687900
9	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 60000 1113400	60000 1113400
10	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 84000 5094000	84000 5094000
11	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 84000 10988000	84000 10988000
12	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य, --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी 50000 4207000	50000 4207000
13	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य, --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी 34000 14313000	34000 14313000
14	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 113000 8981660	113000 8981660
15	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी 134000 11410000	134000 11410000
16	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 84000 4633000	84000 4633000
17	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 84000 40687000	84000 40687000
18	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 321000 9670000	321000 9670000
19	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 34000 9685000	34000 9685000
20	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 168000 16309160	168000 16309160
21	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी 97000 890720	97000 890720
	योग	वर्तमान प्रगामी 2514000 196452320	2514000 196452320

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख चौदह हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनीस करोड़ चौसठ लाख बावन हजार तीन सौ बीस


(पूजा शर्मा)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-BIFALAK TALAB NIRMAN FEMALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 -

04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 336000 16359000	336000 16359000
2	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 672000 28689000	672000 28689000
3	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी 672000 34903860	672000 34903860
4	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 672000 15464540	672000 15464540
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी 672000 12082000	672000 12082000
6	भाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 336000 4537000	336000 4537000
7	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 336000 41023000	336000 41023000
8	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 672000 21143600	672000 21143600
9	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 672000 39628780	672000 39628780
	योग	वर्तमान प्रगामी 5040000 213830780	5040000 213830780

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख चालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ अड़तीस लाख तीस हजार सात सौ अस्सी

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

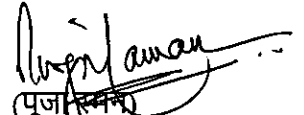
वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-FISH REARING UNIT BACKYARD FEMALE 22-3-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 72000 9757930	72000 9757930
	योग	वर्तमान प्रगामी 72000 9757930	72000 9757930

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तानवे लाख सत्तावन हजार नौ सौ तीस


(पूजा किशन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE BIOFALAK RAS FEMALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024- महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1200000 10957930	1200000 10957930
2	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1200000 3840000	1200000 3840000
3	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1200000 5497000	1200000 5497000
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी 1200000 36103860	1200000 36103860
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी 2400000 51730760	2400000 51730760
6	गजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1200000 5737000	1200000 5737000
	योग	वर्तमान प्रगामी 8400000 113866550	8400000 113866550

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौरासी लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख छियासठ हजार पाँच सौ पचास


(पूजा सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

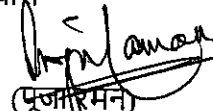
प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM BIOFALAK RAS FEMALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-
महिला लाभार्थी- 40 के0-36-रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 12150020	600000 12150020
2	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 9302800	600000 9302800
3	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	600000 4807000	600000 4807000
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 20597000	600000 20597000
5	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	600000 36703860	600000 36703860
6	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	600000 52330760	600000 52330760
7	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 41623000	600000 41623000
8	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 40228780	600000 40228780
	योग	वर्तमान प्रगामी	4800000 217743220	4800000 217743220

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़तालीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ सतहत्तर लाख तियालीस हजार दो सौ बीस


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SMALL BIOFALAK RAS FEMALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

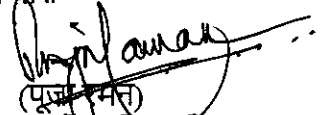
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-
महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गेर वेतन)	योग
1	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	180000 4501000	180000 4501000
2	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	180000 11168000	180000 11168000
3	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	360000 52690760	360000 52690760
4	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	180000 16489160	180000 16489160
	योग	वर्तमान प्रगामी	900000 84848920	900000 84848920

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ अड़तालीस लाख अड़तालीस हजार नौ सौ बीस


(पूजा मत्त)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-INSULATED VAN FEMALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024- महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वित्त)	योग
1	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान 480000 प्रगामी 4981000	480000 4981000
2	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान 480000 प्रगामी 5287000	480000 5287000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान 480000 प्रगामी 15944540	480000 15944540
4	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान 480000 प्रगामी 12562000	480000 12562000
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान 960000 प्रगामी 53650760	960000 53650760
	योग	वर्तमान 2880000 प्रगामी 92425300	2880000 92425300

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठाईस लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ चौबीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ


वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

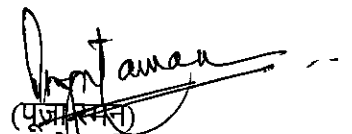
वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LIVE FISH VENDING CENTRE FEMALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वित्त)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 960000 3092000	960000 3092000
2	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 480000 5113000	480000 5113000
	योग	वर्तमान प्रगामी 1440000 8205000	1440000 8205000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बयासी लाख पाँच हजार


(पूजा सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2021-22

क्रमांक	जनपद	मत्स्य बीज हैवरी / 25.0 lacs/ unit					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रु लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एटा	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00

(रु0 छ: लाख मात्र)

21/03/22

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021-22

(धनराशि ₹0 लाख में)

नये तालाब निर्माण महिला लाभार्थी

क्र०	जनपद	क्षेत्रफल हे०	धनराशि	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	1.080	7.560	4.53	2.72	1.81	1.81
2	फिरोजाबाद	1.909	13.363	8.02	4.81	3.21	3.21
3	मैनपुरी	1.766	12.362	7.42	4.45	2.97	2.97
4	मथुरा	1.200	8.400	5.04	3.02	2.02	2.02
5	अलीगढ़	0.200	1.400	0.84	0.50	0.34	0.34
6	हाथरस	0.200	1.400	0.84	0.50	0.34	0.34
7	कासगंज	0.800	5.600	3.36	2.02	1.34	1.34
8	मऊ	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	0.84
9	कानपुर नगर	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	0.84
10	इटवा	0.355	2.485	1.49	0.89	0.60	0.6
11	ललितपुर	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	0.84
12	गोण्डा	0.800	5.600	3.36	2.02	1.34	1.34
13	बलरामपुर	1.000	7.000	4.20	2.52	1.68	1.68
14	पीलीभीत	1.000	7.000	4.20	2.52	1.68	1.68
15	अमरोहा	0.580	4.060	2.44	1.47	0.97	0.97
16	बिजनौर	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	0.84
17	सुभल	0.400	2.800	1.68	1.01	0.67	0.67
18	उन्नाव	0.200	1.400	0.84	0.50	0.34	0.34
19	लखीमपुरखीरी	0.675	4.725	2.83	1.70	1.13	1.13
20	वाराणसी	0.500	3.500	2.10	1.26	0.84	0.84
21	गाजीपुर	0.300	2.100	1.26	0.76	0.50	0.5
	प्रदेश योग	14.965	104.755	62.85	37.71	25.14	25.14

(रुपये पच्चीस लाख चौदह हजार मात्र)

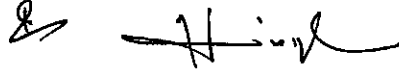
प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021.22

(धनराशि रू० लाख में)

क्र०	जनपद	मीठे जल में वायो फलाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/0.1hectare							
		महिला लाभार्थी							
		संख्या	क्षेत्रफल हे०	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव	धनराशि/ टी० पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	केन्द्रांश	राज्यांश	10
1	मऊ	1	0.100	0.100	14.000	8.400	5.040	3.360	3.360
2	महाराजगंज	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	6.720
3	देवरिया	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	6.720
4	कुशीनगर	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	6.720
5	गोण्डा	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	6.720
6	मेरठ	1	0.100	0.100	14.000	8.400	5.040	3.360	3.360
7	गाजियाबाद	1	0.100	0.100	14.000	8.400	5.040	3.360	3.360
8	लखनऊ	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	6.720
9	मिर्जापुर	2	0.200	0.200	28.000	16.800	10.080	6.720	6.720
	प्रदेश योग	15	1.500	1.500	210.000	126.000	75.600	50.400	50.400

(रूपये पचास लाख चालीस हजार मात्र)





प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021.22

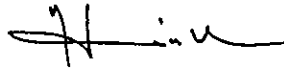
(धनराशि रु0 लाख में)

क्र०	जनपद	बैकयार्ड आरनामेंटल फिश रियरिंग यूनिट / Rs. 3.0 lacs/ hectare							
		महिला लाभार्थी							
		संख्या	क्षेत्रफल हे०	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव	धनराशि / टी 0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अनुदान में से अवमुक्त धनराशि (केवल राज्यांश)
1	2	3	4	5	6	7	केन्द्रांश	राज्यांश	10
1	एटा	1	1.000	1.000	3.000	1.800	1.080	0.720	0.72000
	योग	1	1.000	1.000	3.000	1.800	1.080	0.720	0.72000

(रुपये बहत्तर हजार मात्र)







(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 2021-22

बृहद आरोग्य/बृहद वायोफलाक / Rs. 50.0 lacs/unit

नृहद आ०१०१०१०१० / नृहद वायाफलाक / Rs. 50.0 lacs/unit							
कम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी०पी०सी०	कुल अनुदान	महिला लाभार्थी		कुल अवशुक्त अनुदान (केवल राज्यरा) (रु लाख में)
					कुल अनुदान में से		
					केन्द्ररा	राज्यरा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एटा	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
2	जालौन	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
3	बांदा	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
4	गाजियाबाद	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
5	बाराबंकी	2	100.00	60.00	36.00	24.00	24.00
6	देवरिया	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
प्रदेश योग		7	350.00	210.00	126.00	84.00	84.00

(रु0 चौरसी लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मात्स्य संपदा योजना (पीएमएसपीएस0वाई0) 2021-22

मध्याकार आर0ए0एस0 / मध्याकार वायोफलाक / Rs. 25.0 lacs/unit

क्रमांक	जनपद	महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मऊ	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
2	गोरखपुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
3	देवरिया	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
4	कुशीनगर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
5	झोंसी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
6	बाराबंकी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
7	बरेली	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
8	गाजीपुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
	प्रदेश योग	8	200.00	120.00	72.00	48.00	48.00

(रु0 अड़तालीस लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएम0एम0एस0वार्ड0) 2021-22

लघु आर0ए0एस0 वायोफलाक / Rs. 7.50 lacs/unit

महिला लाभार्थी

क्रमांक	जनपद	संख्या	घनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अनुदान (केवल राश्यां) (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राश्यांश	
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	प्रयागराज	1	7.50	4.50	2.70	1.80	1.80
2	बलरामपुर	1	7.50	4.50	2.70	1.80	1.80
3	बाराबंकी	2	15.00	9.00	5.40	3.60	3.60
4	वाराणसी	1	7.50	4.50	2.70	1.80	1.80
प्रदेश योग		5	37.50	22.50	13.50	9.00	9.00

(रु0 नौ लाख मात्र)

21/03/22

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसडी) 2021-22

इन्सुलेटिड बैन / Rs. 20.0 lacs/unit

महिला लाभार्थी

क्रमांक	जनपद	संख्या	धनराशि / टीपीपीसी	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (₹ लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रयागराज	1	20.00	12.00	7.20	4.80	4.80
2	गोण्डा	1	20.00	12.00	7.20	4.80	4.80
3	बाराबंकी	2	40.00	24.00	14.40	9.60	9.60
4	लखनऊ	1	20.00	12.00	7.20	4.80	4.80
5	गाजीपुर	1	20.00	12.00	7.20	4.80	4.80
प्रदेश योग		6	120.00	72.00	43.20	28.80	28.80

(₹0 अट्वाइस लाख अस्सी हजार मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसओएसवाई) 2021-22 लाईव फिश वेल्लिंग सेन्टर / Rs. 20.00 lacs/unit)							
क्रमांक	जनपद	महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवशुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रु. लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ललितपुर	1	20.00	12.00	7.20	4.80	4.80
2	अयोध्या	2	40.00	24.00	14.40	9.60	9.60
प्रदेश योग		3	60.00	36.00	21.60	14.40	14.40

(रु० चौदह लाख चालीस हजार मात्र)

21/03/22

संख्या: 12/2022/ 201/ सत्रह-म-2022-17-1002(002)/2/2022

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उओप्रओ लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 29/ मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीओएमओएसवाईओ) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रु0 399.69 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रु0 266.46 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 56 /निओशाओ/ 2021-22/16-19(6) दिनांक 16 फरवरी, 2022 एवं पत्र संख्या- 79/ निओशाओ/ 2021-22/16-19(6) दिनांक 10 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीओएमओएसवाईओ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरुष+महिला) वर्ग हेतु अवमुक्त कुल केन्द्रांश रु0 851.50 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में महिला वर्ग हेतु प्राविधानित बजट धनराशि के अन्तर्गत निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रु0 399.69 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रु0 266.46 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30 सितम्बर, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत सामान्य (पुरुष + महिला) वर्ग हेतु अनुमोदित कुल केन्द्रांश रु0 3224.05 लाख (रु0 1710.84 लाख +1513.21 लाख) में से प्रथम किशत के रूप में रु0 851.50 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30 सितम्बर, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रदान किये गये प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार सामान्य वर्ग में सामान्य पुरुष वर्ग हेतु 53.06 प्रतिशत तथा महिला वर्ग हेतु 46.94 प्रतिशत की धनराशि मात्राकृत है। तदनुसार पत्र दिनांक 30.09.2021 द्वारा सामान्य (पुरुष + महिला) वर्ग हेतु अवमुक्त कुल केन्द्रांश रु0 851.50 लाख में से सामान्य पुरुष वर्ग हेतु रु0 441.81 लाख (53.06 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग हेतु रु0 399.69 लाख (46.94 प्रतिशत) की केन्द्रांश धनराशि अवमुक्त हो सकती थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत महिला वर्ग हेतु रु0 7759.75 का बजट प्राविधान किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमओएसवाई) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु प्राविधानित बजट धनराशि ₹0 7759.75 में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत पूर्व में वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि ₹0 399.69 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश ₹0 266.46 लाख (₹0 दो करोड़ छ्ठाछ लाख छियालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 09 परियोजना हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम / वित्त पोषण (के036/ रा0 24/ महिला लाभार्थी-40, के0+ग0)	इकाई/ हे0/सं0	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष निर्गत होने वाली मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	सामायी अंश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	फिनफिश हैचरियों की स्थापना	5	25.00	125.00	45.00	30.00	50.00	6.00	6.00
2	नये तालाबों का निर्माण	18.00	7.00	126.00	45.36	30.24	50.40	25.14	25.14
3	मीठे जल में बायोफलाक तालाबों का निर्माण	102.00	14.00	1428.00	510.8	342.72	571.20	50.40	50.40
4	बैकयार्ड आरनामेटल फिश रियरिंग यूनिट की स्थापना	5.00	3.00	15.00	5.40	3.60	6.00	0.72	0.72
5	बृहद आरओएस0/ बायोफलाक का निर्माण	12	50.00	600.00	216.00	144.00	240.00	84.00	84.00
6	मध्यमाकार आरओएस0/ बायोफलाक का निर्माण	50	25.00	1250.00	450.00	300.00	500.00	48.00	48.00
7	लघु आरओएस0/ बायोफलाक का निर्माण	11	7.50	82.50	29.70	19.80	33.00	9.00	9.00
8	इनसुलटेड वाहन	8	20.00	160.00	57.60	38.40	64.00	28.80	28.80
9	जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र	10	20.00	200.00	72.00	48.00	80.00	14.40	14.40
योग-								266.46	266.46

(₹0 दो करोड़ छ्ठाछ लाख छियालीस हजार मात्र)

- (1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमओएसवाई) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.09.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3)

- (3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
- (4) वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया गया है।
- (6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की निरीक्षणता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
- (14) ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।
- (15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4)

- (16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (18) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल रेगुलेशन के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4 - वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104 -प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/ रा0 24/ महिला लाभार्थी-40, के0+रा0) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5)

6- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर / अशासकीय संख्या-ई-1-3750/दस-2021-2022 दिनांक-19.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव

Date: 21-03-2022 15:38:14
उप सचिव

Reason: Approved

संख्या- / 2 /2022/201 (1) /सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन 30प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
6. सम्बंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।